उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-568/दो-04-2012-23(4)/2010
लखनऊ : दिनांक 03-8-~~जुलाई~~, 2012

कार्यालय ज्ञाप

संयुक्त निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-3826/चार 3429/एडमिन(ए) दिनांक 30.08.2010 एवं उप निबन्धक(एम), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-3844/चार 3429/एडमिन(ए) दिनांक 20.03.2012 द्वारा श्री परशुराम, सिविल जज के उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनांक 21.06.2006 की अपरान्ह अर्थात दिनांक 22.06.2006 पूर्वान्ह में योगदान करने से पूर्व राज्य सरकार के अन्तर्गत अभियोजन विभाग में सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 11.04.2005 से 20.06.2006 के अपरान्ह तक की गयी सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के साथ जोड़े जाने के सम्बन्ध में प्राप्त आख्या/संस्तुति के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री परशुराम, सिविल जज के उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनांक 21.06.2006 की अपरान्ह अर्थात दिनांक 22.06.2006 पूर्वान्ह में योगदान करने से पूर्व राज्य सरकार के अन्तर्गत सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 11.04.2005 से 20.06.2006 के अपरान्ह तक की गयी सेवाओं को मात्र सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद 370 के अधीन आगणित किये जाने एवं दिनांक- 21.06.2006 (01दिन) के व्यवधान को मर्षित करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि श्री परशुराम नयी पेंशन योजना, जो अंशदायी पेंशन योजना है, की योजना से आच्छादित होंगे। श्री परशुराम की नियुक्ति की प्रथम तिथि 11.04.2005 से नयी पेंशन योजना के सदस्य माने जायेंगे तथा अभिदान अंशदान की कटौती माह मई, 2005 भुगतान माह जून, 2005 से प्रारम्भ मानी जायेगी। नयी पेंशन योजना में पेंशनरी लाभों हेतु अलग से सेवाएँ जोड़े जाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र औपचारिक आदेश जारी किये जा रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 21.6.2006 (एक दिन) के सेवा व्यवधान को किसी भी दशा में अर्हकारी सेवा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या-3-567/दस-2012 दिनांक 29 जून, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-568(1)-दो-04-2012-तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2 महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को श्री परशुराम, न्यायिक अधिकारी की पूर्व/वर्तमान न्यायिक सेवापुस्तिका मूलरूप में दो अदद सहित।
3- पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन 8वाँ तल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4 अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
5 श्री परशुराम, सिविल जज (सी0डि0), नगीना, जनपद बिजनौर।
6 वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
7 गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,
(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner